न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या – 105 / 2021–22

केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

16.9.22

आवेदक मनमसीह सुरीन, पिता – स्व0 जकारिया सुरीन, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुरकुरा, थाना – कुरकुरा (कामडारा), जिला –गुमला (झारखण्ड) स्थित थाना सं0 06 स्थित मौजा – कुरकुरा, खाता सं0 41, प्लॉट सं0 – 1387, कुल रकबा – 0.93 एकड़ में से 0.10 एकड़ भूमि को क्रेता लिबयानी तोपनो, पिता – स्व0 बोयसा तोपनो, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुलबुरू गया टोली, पो0 – कुलबुरू, थाना – कुरकुरा (कामडारा) जिला – गुमला के साथ बिक्री/ वसीयत/ बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन का किस्म
कुरकुरा	06	41	1387	0.93 एकड़ में से 0.10 एकड़	टांड़

कुल 0.010 एकड़

प्लॉट सं0 1387 की चौहदी – उत्तर में – जंगल झाड़ी, दक्षिण में – जंगल झाड़ी,

पूरब में – रेलवे लाईन, पश्चिम में – अंश भूमि

जमीन विक्रेता की विवरणी

मनमसीह सुरीन, पिता – स्व0 जकारिया सुरीन, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुरकुरा, थाना – कुरकुरा (कामडारा), जिला –गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता की विवरणी

लिबयानी तोपनो, पिता – स्व0 बोयसा तोपनो, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुलबुरू गया टोली, पो0 – कुलबुरू, थाना – कुरकुरा (कामडारा) जिला – गुमला

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता लिबयानी तोपनो, पिता – स्व0 बोयसा तोपनो, जाति – मुण्डा, ग्राम – कुलबुरू गया टोली, पो0 – कुलबुरू, थाना – कुरकुरा (कामडारा) जिला – गुमला से मो0 30000 (तीस हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को रूपये की जरूरत वास्ते जरूरी काम करने, शादी विवाह के लिए रूपये की आवश्यकता है के

	कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा के कार्यालय पत्रांक – 06 दिनांक – 29.07.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवदेक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्त के पहचान पर अभिलिखत किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भू–बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी है। अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक मनमसीह सुरीन, पिता – स्व0 जकरिया सुरीन, मौजा – कुरकुरा, थाना – कुरकुरा जिला –गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि 30000 (तीस हजार) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा। लेखापित एवं संशोधित । 16/11/22 अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया(गुमला)। 16/11/22 अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया(गुमला)।	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 11:53:36 +05:30
Location: 192.168.1.10